

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर-492 002

क्रमांक एफ 7-9/2015/12,
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक

1. संचालक,
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म,
छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर।

2. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय:- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 8A(5), 8A(6) तथा 8A(8) के अधीन खनि पट्टा अवधि वृद्धि बाबत।

-::00::-

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 में भारत सरकार द्वारा राजपत्र (असाधारण) संख्या 13, नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च, 2015 में प्रकाशित अधिसूचना The Mines & Minerals (Development & Regulation) Amendment Act, 2015 द्वारा व्यापक संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन अधिनियम दिनांक 12 जनवरी, 2015 से प्रभावशील हैं।

2/ उपरोक्त संशोधन अधिनियम की धारा 8A(5), 8(6) एवं 8A(8) अंतर्गत अनुसूची एक के पार्ट "ए" एवं "बी" के खनिजों को छोड़कर शेष खनिजों (मुख्य खनिज) के खनिपट्टों की अवधि बढ़ाये जाने संबंधी निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:-

2.1 संशोधन अधिनियम की धारा 8A(5) में प्रावधानित है कि ऐसे खनि पट्टाधारी, जिनके द्वारा खनिज का कैप्टीव उपयोग किया जाता है, उन खनिपट्टों की अवधि 31 मार्च 2030 तक एवं नवकरण की स्थिति में नवकरण की अवधि पूर्ण होने तक अथवा मूल स्वीकृति तिथि से 50 वर्ष, जो भी बाद में हो, तक खनिपट्टा की सभी शर्तों के पालन किये जाने की स्थिति में मान्य किया जाना है।

2.2 संशोधन अधिनियम की धारा 8A(6) में प्रावधानित है कि जहां खनिज का उपयोग कैप्टीव प्रयोजन से भिन्न है, उनकी अवधि 31 मार्च, 2020 तक अथवा विगत नवकरण की अवधि पूर्ण होने तक अथवा मूल स्वीकृति से 50 वर्ष, जो भी बाद में हो, तक खनि पट्टा की सभी शर्तों के पालन किये जाने की स्थिति में मान्य किया जाना है।

2.3 संशोधन अधिनियम की धारा 8A(8) के अधीन भारत सरकार का आदेश क्रमांक 1/2/2015-M.VI, नई दिल्ली, दिनांक 06.02.2015 द्वारा निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों को स्वीकृत खनिपट्टों जिनकी अवधि समाप्त हो गई हो एवं नवकरण हेतु समय पर आवेदन किया गया हो अथवा जिन खनि पट्टों की अवधि 31 मार्च 2020 को अथवा इसके पूर्व समाप्त होने वाली हो, उनकी अवधि 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई जाएगी।

3/ संशोधन अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत खनिपट्टों की अवधि बढ़ाये जाने की स्थिति में पूरक अनुबंध निष्पादन की वैधानिक आवश्यकता होगी। पूरक अनुबंध निष्पादन हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की नवीन अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 38 के अनुसरण में स्टाम्प शुल्क की गणना की जायेगी, जिसका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17, सहपठित सम्पत्ती अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 107 के अंतर्गत उक्त नए अनुबंध (पूरक अनुबंध) का रजिस्ट्रीकरण भी अनिवार्य होगा। इस संबंध में पूरक अनुबंध का प्ररूप संलग्न है।

4/ परन्तु संशोधन अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान, केन्द्रीय सरकार, खान मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र संख्या 333 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 423(अ) नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित गौण खनिजों के स्वीकृत पट्टों पर लागू नहीं होंगे।

5/ अतएव राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कैप्टीव एवं नान कैप्टीव उपयोग हेतु खनिजों के (पैरा-4 में प्रावधानित गौण खनिज को छोड़कर) स्वीकृत खनिपट्टों के प्रत्येक प्रकरण का The Mines & Minerals (Development & Regulation) Amendment Act, 2015 की धारा 8(A) के प्रावधानों के अनुरूप परीक्षण करते हुए निम्नानुसार उल्लिखित कंडिकाओं पर भी परीक्षण उपरान्त खनिपट्टों की अवधि उपरोक्त पैरा क्रमांक 2.1, 2.2 एवं 2.3 के प्रावधानों के तहत वृद्धि करते हुये पूरक अनुबंध निष्पादित किया जाए:-

- 5.1 खनि पट्टाधारी द्वारा पट्टा शर्तों/निबंधनों का पालन किया जा रहा है। स्वीकृत खनिपट्टों के विरुद्ध यदि पट्टाशर्तों के उल्लंघन की कार्यवाही विचाराधीन है, तो निराकरण होने के पश्चात ही आगामी कार्यवाही की जाये।
- 5.2 अधिनियम के प्रावधानों के तहत खनि पट्टा व्यपगत (Laps) की श्रेणी में नहीं आ रहा हो,
- 5.3 खनि पट्टेधारी पर खनिज राजस्व बकाया न हो,
- 5.4 खनिपट्टा का माइनिंग प्लान/स्कीम ऑफ माइनिंग एवं प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान अनुमोदित हो।

6/ उपरोक्तानुसार संशोधन अधिनियम में प्रावधानों के तहत खनि पट्टा वृद्धि हेतु पात्र खनिपट्टेधारियों से तदनुसार खनिपट्टा अवधि वृद्धि हेतु संलग्न प्ररूप में पूरक अनुबंध निष्पादित किया जाय। निष्पादित पूरक अनुबंध की एक प्रति विभाग एवं संचालनालय को प्रेषित की जाय।

7/ खनिपट्टों के प्रकरणों में एकरूपता हेतु संलग्न-चैक लिस्ट अनुसार जानकारी संकलित कर परीक्षण कर लिया जावे एवं तदोपरांत खनिपट्टों में अवधि वृद्धि की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्न:- 1. "प्ररूप" पूरक अनुबंध,
2. चेक लिस्ट।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(संजय कनकने)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खनिज साधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 7-9/2015/12,
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक

19 MAY 2015

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, वन/आवास एवं पर्यावरण/राजस्व विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंधन) छत्तीसगढ़, रायपुर,
4. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर,
5. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर, छत्तीसगढ़,
6. समस्त उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), छत्तीसगढ़,
7. आदेश फोल्डर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजय कनकने)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खनिज साधन विभाग

AMENDMENT AGREEMENT

TO EXTEND THE PERIOD OF MINING LEASES

DATED

This Amendment to the Mining Lease Agreement dated
(hereinafter referred to as "Amendment no.1 to Mining Lease Agreement") is made on the
..... day of2015 at

BETWEEN

Government of Chhattisgarh, (hereinafter referred to as "**Principal Lessor**"), having its head office at, Mineral Resource Department, Mahanadi Bhavan, Mantralaya, Naya Raipur, Chhattisgarh, India, which expression shall, unless repugnant to the subject, context or meaning thereof, be deemed to mean and include its successors, authorised representatives and permitted assigns of the **FIRST PART**;

AND

When the lessee is an individual.

..... (Name of person with address and occupation) (hereinafter referred to as "the lessee" which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns).

When the lessees are more than one individual.

.....(Name of person with address and occupation)
and.....(Name of person with address and occupation)
(hereinafter referred to as "the lessees" which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and their permitted assigns).

When the lessee is a registered firm.

.....(Name and address of partner), son
of..... all carrying on business in partnership under the firm name and

style of..... (name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (No. 9 of 1932) and having their registered office at.....in the town of (hereinafter referred to as "the licensee" which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns).

When the lessee is a registered company.

M/s....., a company incorporated under the Companies Act 2013, having its registered office located at..... (hereinafter referred to as "the lessee", which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successor, administrators, liquidators and assigns or legal representatives) represented by its authorized signatory, on the **OTHER PART**.

The "**Principal Lessor**" and "**Lessee**" shall, in for the purpose of this Supplementary Lease Agreement, be individually referred to as "**PARTY**" and collectively as "**PARTIES**".

WHEREAS:

A. The original mining lease deed before commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) (Amendment) Ordinance, 2015, was signed between the parties and period of lease is fromto (Date).

B. The Government of India (hereinafter referred to as "**GoI**") has amended the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and has promulgated an Ordinance on Monday, the 12th January, 2015 (MMDR Amendment Ordinance, 2015), according to which the period of grant of mining lease shall be extended as per section 8A.

NOW THEREFORE, IT IS HEREBY AGREED BETWEEN THE PARTIES HERETO AS UNDER:

1. The period of grant of the mining lease executed between the parties shall be governed by section 8A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) (Amendment) Ordinance, 2015, and the period of mining lease shall be extended accordingly up toto (date).

2. The renewal clause mentioned in Serial Number 3 of Part VIII, "The Covenants of the State Government" shall be omitted.

3. The Transfer of the mining lease shall take place as per the provisions contained under Section 12A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 2015.

3. All the terms and expressions which are used and not specifically defined in this Amendment, unless the context otherwise requires, shall bear the same meaning as ascribed to them in the said Agreement and subsequent Amendments thereof.

4. All other terms and conditions of the said agreement dated..... shall remain unchanged.

IN WITNESS whereof, the duly authorized representatives of the Parties have signed on the day and year first hereinbefore written.

For and on behalf of

For and on behalf of

Government of Chhattisgarh

.....

WITNESS:

WITNESS:

1.....

1.....

2.....

2.....

The Mines and Minerals (Development & Regulation) Amendment Act, 2015 की
धारा 8(ए)(5), 8(ए)(6) एवं 8(ए)(8) के अधीन खनिपट्टों की अवधि बढ़ाए जाने हेतु

चेकलिस्ट

जिला -

केप्टिव/नान केप्टिव /शासकीय

- 1) खनि पट्टेधारी का नाम
- 2) खनि पट्टेधारी का पता
- 3) खनि पट्टे में स्वीकृत क्षेत्र का विवरण
 - a) जिला तहसील ग्राम
 - b) स्वीकृत रकबा कुल (हे.)
 - c) खसरा क्रमांक/वन कक्ष क्रमांक रकबा हे.
(पृथक से सूची संलग्न करें)
- 4) खनि पट्टे में स्वीकृत खनिज
- 5) खनि पट्टा स्वीकृति आदेश क्रमांक दिनांक
- 6) खनि पट्टा की अवधि
- 7) खनि पट्टा अनुबंध निष्पादन दिनांक
- 8) अनुबंधित अवधि
- 9) प्रथम नवकरण-आवेदन दिनांक
- 10) प्रथम नवकरण आदेश क्रमांक दिनांक
- 11) प्रथम नवकरण अनुबंधित अवधि
- 12) प्रथम नवकरण में स्वीकृत रकबा
 - खसरा क्रमांक रकबा (हे.)
 - वनकक्ष क्रमांक रकबा (हे.)
- 13) द्वितीय नवकरण-आवेदन दिनांक
- 14) द्वितीय नवकरण आदेश क्रमांक दिनांक
- 15) द्वितीय नवकरण अनुबंधित अवधि
- 16) द्वितीय नवकरण में स्वीकृत रकबा
 - खसरा क्रमांक रकबा (हे.)
 - वनकक्ष क्रमांक रकबा (हे.)

- 17) खदान संचालित है/नहीं है
- 18) खनिपट्टा व्यपगत (लेप्स) की श्रेणी में है/नहीं है
- 19) खदान लेप्स की श्रेणी में है तब
लेप्स घोषित किये जाने का प्रस्ताव
क्रमांक/दिनांक प्रस्ताव की प्राप्ति
(संलग्न करें)
- 20) पट्टेदार बकायादार है अथवा नहीं
(1 जनवरी 2015 की स्थिति में)
- 21) पट्टेदार बकायादार हो तो बकाया राशि का विवरण
- | क्रमांक | राशि | बकाया का दिनांक |
|---------|------|-----------------|
|---------|------|-----------------|

- 22) खनि पट्टा की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति (उल्लंघन एवं कार्यवाही का विवरण)
- 23) खनिज संरक्षण तथा विकास नियम 1988 के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति (उल्लंघन एवं कार्यवाही का विवरण)

* जो लागू न हो, उसे काट दें।